क्रम संख्या–47

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 25 अप्रैल, 2023 ई0

बैशाख 05, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 153/XXXVI(3)/2023/79(1)/2022

देहरादून, 25 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 08, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या–05 वर्ष 2003) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 31 क का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 में धारा 31 क में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

(1) "प्रत्येक ~~प्रीर्ष~~ समिति के लिए एक प्रबन्ध–निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी सहकारी सेवा का अधिकारी अथवा शीर्ष सहकारी संस्था से सम्बन्धित विभाग का श्रेणी–एक से अनिम्न पद का सरकारी सेवक या सम्बन्धित क्षेत्र का अनुभवी पेशेवर (professional) होगा तथा उसकी सेवायें समिति में प्रतिनियुक्ति पर समझी जायेंगी:

परन्तु राज्य (शीर्ष) सहकारी बैंक के मामले में शीर्ष सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/शैड्यूल्ड बैंक अथवा अन्य वित्तीय प्रबन्धन संस्थान के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर सामान्यतः 03 वर्ष हेतु ही विहित रीति द्वारा लिया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति पर शीर्ष सहकारी बैंक में प्रबन्ध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति प्रचलित राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्ध निदेशक अथवा मुख्य

कार्यपालक अधिकारी हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर विज्ञापन जारी कर निम्नानुसार चयन कमेटी द्वारा की जायेगी:–

1. कृषि एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
3. सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन/शीर्ष सहकारी संस्था से सम्बन्धित विभाग के सचिव –सदस्य
4. मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड –सदस्य
5. निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड– –सदस्य।

परन्तु यह और कि शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अनुभवी पेशेवर का चयन भी विज्ञापन जारी कर निर्धारित योग्यता के आधार पर उक्त कमेटी द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य में "उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003" प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा 31 क के अन्तर्गत शीर्ष सहकारी समितियों में प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में शैड्यूल बैक के अनुभवी अधिकारी को भी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने तथा उनके अनुभव, कार्यकाल, पद से हटाये जाने की प्रक्रिया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि से सम्बन्धित प्रावधानों के समावेश किये जाने हेतु धारा 31 क में संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री